

पत्र संख्या-  
बिहार सरकार  
(भविष्य निधि निदेशालय)  
वित्त विभाग

1597

पंषक,

अनिरुद्ध प्रसाद सिंह,  
संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन,  
वित्त विभाग, पंत भवन, पटना।

सेवा में

सहायक निदेशक / सभी सहायक आयुक्त,  
भविष्य निधि निदेशालय, पटना।  
सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक:-

30.3.2012


विषय-

सामान्य भविष्य निधि के अंशदान पर सूद के दर के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के एम जे सी संख्या 873/2010 के 22.06.2011 के न्यायादेश के आलोक में निदेशित किया जाता है कि विभिन्न वर्षों में किये गये सामान्य भविष्य निधि के अंशदान पर सूद का दर सलग्न सूची के अनुसार है, इसके आधार पर ही लेखा अद्यतन एवं अंतिम निकासी के मामले में गणना किया जाना है।

विश्वासभाजन,

  
30.3.12

(अनिरुद्ध प्रसाद सिंह)

संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन

## CHART OF INTREST

S. No	FINANCIAL YEAR	MIN % DEDUCTION	RATE OF INTREST(%)
1	1975-76 TO 1976-77		(क) 25000 रू0 तक 7.5% (ख) 25000 रू0 से उपर 7%
2	1977-78 TO 1979-80		(क) 25000 रू0 तक 8% (ख) 25000 रू0 से उपर 7.5%
3	1980-81		(क) 25000 रू0 तक 8.5% (ख) 25000 रू0 से उपर 8%
4	1981-82 TO 1984-85		10% (बिना किसी सीमा के)
5	1985-86(केवल तीन माह)अप्रैल मई तथा जून 1986 के लिए		10.5% (बिना किसी सीमा के)
6	पहली जुलाई 1985 से		(क) राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा कम से कम 15% तथा अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा कम से कम 12.5% अंशदान देने पर सूद की दर 12.5% (ख) राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा कम से कम 12.5% एवं अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा कम से कम 10% अंशदान देने पर सूद की दर 10.5%
7	1986-87 TO 1998-99	राजपत्रित को 15% एवं अराजपत्रित को 12.5% अंशदान करने पर	12.50%
8	1999-2000	1/20000 से मूल वेतन का कम से कम 6% और मूल वेतन से अधिक नहीं	12%
9	2000-2001	DO	11%
10	2001-2002	DO	9.50%
11	2002-2003	DO	9%
12	2003-04 TO 2011-12	DO	8%

12/11/12